न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./1163/2020/टोंक (2020/01163)

विभागीय अपील द्वारा श्री कपिल चौधरी तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल हिण्डौली तहसील हिण्डौली जिला बून्दी हाल पटवारी हलका टोंक जिला टोंक विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर टोंक के दण्डादेश क्रमांक भू.अ.6/एफ.2 ( ) पटवारी/हिण्डोली/बून्दी/विजा/19/3030 दिनांक 01–07–2020 एवं निर्णय दिनांक 19–6–2020 जिसके द्वारा अपचारी पटवारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर दिनांक 14–2–2017 से दिनांक 20–7–2017 तक अपीलार्थी का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

उपस्थितः– श्री कपिल चौधरी तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल हिण्डौली तहसील हिण्डौली जिला बून्दी हाल पटवारी हलका टोंक जिला टोंक।

निर्णय

दिनांकः–26/10/2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 01–07–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ने उनके नाम दिनांक 23–1–2019 को ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किये गये। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

आप श्री कपिल चौधरी, प0म0 हिण्डौली में दिनांक 10–10–2016 से पटवारी के पद पर कार्यरत होते हुए दिनांक 14–2–2017 से बिना किसी पूर्व अनुमति के स्वैच्छिक रूप से दिनांक 20–7–2017 तक अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप

Scanned with CamScanner

पटवार मण्डल हिण्डौली का राजकीय कार्य बाधित रहा, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या–दो

यह है कि तहसील हिण्डौली से आपको पत्रांक भू.अ./2017/1495 दिनांक 15–2–2017 एवं पत्रांक भू.अ./2017/2427 दिनांक 27–3–2017 से सूचित करने के बावजूद भी आप राजकार्य पर उपस्थित नहीं हुए। तदृपरान्त तहसील कार्यालय से आपको पत्रांक भू.अ./2017/3054 दिनांक 2–5–2017 से राजस्थान सेवा नियम 86 के अन्तर्गत नोटिस दिया था, जिसके उपरान्त भी आप राजकार्य पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में दिनांक 19–2–2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपचारी पटवारी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया उनके द्वारा सुनवाई के दौरान कार्मिक द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। जांच अधिकारी ने प्रकरण में आरोपित कार्मिक को स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने व राजकार्य बाधित करने का दोषी माना है एवं साथ ही माता का स्वास्थ्य खराब होने से प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अंकन किया गया है। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली द्वारा अपचारी पटवारी पर आरोपित आरोप प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बयानात के आधार पर प्रमाणित होना पाये गये है। उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली ने अपने पत्र कमांक 585 दिनांक 19–3–2020 से जिला कलक्टर बूंदी को प्रेषित की थी जो जिला कलक्टर, (भू.अ.) बूंदी द्वारा उनके पत्रांक 1214 दिनांक 17–4–2020 से जिला कलक्टर (भू.अ.) टोंक कार्यालय को भिजवाई गई। उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर, टोंक ने आदेश दिनांक 01–07–2020 पारित कर अपचारी पटवारी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (With Cumulative Effect) रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर दिनांक 14–2–2017 से दिनांक 20–7–2017 तक अपीलार्थी का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी पटवारी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 01–07–2020 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक

Scanned with CamScanner

प्रकिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया कि आरोप पत्र में वर्णित पत्रों के संबंध में अपीलार्थी ने तहसीलदार हिण्डौली जिला बून्दी को दिनांक 31–7–2017 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि तहसील कार्यालय का पत्रांक 2427 दिनाक 27–3–2017 एवं 3054 दिनांक 2–5–2017 को अपीलार्थी को राजकार्य सम्पादित करते समय दिनांक 24–7–2017 को प्राप्त हुए। उक्त पत्रों की प्राप्ति से पूर्व ही अपीलार्थी राजकार्य पर उपस्थित हो चुका था। उक्त स्पष्टीकरण के जवाब में अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उक्त अवधि में अपीलार्थी की मां की तबीयत अचानक ज्यादा खराब होने के कारण अपीलार्थी को मां की सेवा के लिए रहना आवश्यक हो गया था क्योंकि परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई देखभाल करने वाला नहीं था। अपीलार्थी का अवकाश पर रहने का यही एक कारण था जो मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित है। जहां तक अपीलार्थी का बिना सूचना के अवकाश पर रहने का आरोप आरोपित किया गया है कतई सही नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ने दिनांक 13–2–2017 को तहसीलदार, हिण्डौली को मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र भिजवाया गया था उसके प्श्चात पुनः 14–2–2017 को सूचना प्रेषित की गई एवं 23–2–2017, 10–3–2017, 12–6–2017 13–7–2017 को भी जरिये प्रार्थना पत्र अवकाश पर रहने की सूचना अपीलर्थी द्वारा तहसीलदार हिण्डौली को भिजवाई गई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21–7–2017 को तहसील हिण्डौली में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जो कि अपीलार्थी के द्वारा संलग्न दस्तावेजात से स्वयं सिद्ध है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी पर राजकार्य बाधित होने का आरोप आरोपित किया गया यह आरोप भी बेबुनियाद है क्योंकि तहसीलदार हिण्डौली के पत्रांक 1898–1905 दिनांक 21–2–2017 की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 22–2–2017 को ही उपस्थित होकर चार्ज संभला दिया गया था तथा अपीलार्थी के पटवार हलके का कार्य अन्य पटवारियान द्वारा सम्पादित किया जा रहा था जो अपीलार्थी के द्वारा संलग्न दस्तावेजात से स्वयं स्पष्ट है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार हिण्डोली ने अपने पत्रांक 6268 दिनांक 5–10–2017 के द्वारा अपीलार्थी को अवकाश संबंधी समस्त प्रार्थना पत्र निर्धारित अवकाश प्रार्थना पत्र के प्रभारी अधिकारी भू.अ. बून्दी को अवैतनिक अवकाश स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने समय–समय पर अवकाश प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को भिजवाये गये थे तथा

Scanned with CamScanner

चार्ज देने संबधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पूर्ण पालना भी की गई थी। अपीलार्थी द्वारा अवकाश पर रहने बाबत सम्पूर्ण साक्ष्य, सबूत सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये थे। अपीलार्थी दिनांक 14–2–2017 से अवकाश पर गया था तथा अपने अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 22–2–2017 को ही अपने हलको का चार्ज अन्य पटवारियों को संभला दिया गया था इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। इससे यह सिद्ध है कि अपीलार्थी की परिस्थितियों से उच्चाधिकारी परिचित थे। तहसीलदार, हिण्डौली ने अपने पत्र क्रमांक 6135 दिनांक 25–9–2017 द्वारा जिला कलक्टर बूंदी को अवगत कराया कि अपीलार्थी दिनांक 14–2–2017से 20–2–2017 तक अवैतनिक अवकाश पर रहे है। अवकाश का कारण अपनी बुजुर्ग मां का स्वास्थ्य खराब होना अंकित किया है तथा अवकाश प्रार्थना पत्रों का प्राप्त होना अंकित किया है। सीसीए नियमों में यह स्पष्ट निर्देश है कि जब तक दुर्भावना या दुराचरण (Malafied or Misconduct) का तथ्य स्थापित या उल्लेखित न हो तब तक सीसीए नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती है। नियमों में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रकरण बनता ही नहीं था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उसकी मां का इलाज करवाने के लिए बिना वेतन अवकाश चाहा गया था।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने सम्पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख कर मय दस्तावेजात स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की बावजूद भी अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित कर दी गई जो कि नियमानुकूल नहीं थी। विभागीय जांच में उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को जांच अधिकारी तथा तहसीलदार हिण्डोली को विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने जांच अधिकारी को साक्ष्य सबूत प्रमाण पत्र एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवा दी थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर जांच अधिकारी ने जांच में एक तरफा कार्यवाही करते हुए अंकित किया कि अपचारी कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने व राजकार्य बाधित होने का दोषी है साथ ही यह भी अंकित किया कि अपचारी पटवारी श्री कपिल चौधरी ने अपनी माता का स्वास्थ्य खराब होने बाबत चिकित्सक श्री जसवन्त चौधरी सहादत अस्पताल टोंक की दवा पर्ची भी पेश की है, अतः प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने साक्ष्य के आधार पर यह तो माना ही है कि अपीलार्थी ने अपनी मां की बीमारी के कारण अवकाश लिया था तथा तहसीलदार हिण्डौली के आदेशानुसार उपस्थित होकर अपने हलकों

Scanned with CamScanner

का चार्ज अन्य पटवारियान को दे दिया था। तहसीलदार हिण्डोली का यह आदेश की अपीलार्थी उक्त परिस्थितियों में अपना चार्ज अन्य पटवारियान को देवे, अपने आप में यह सिद्ध करता है कि अपीलार्थी स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित नहीं रहा था ना ही चार्ज देने में कोई विलम्ब ही किया गया है तथा न ही कोई आदेशों की अवहेलना ही की गई है तो फिर राजकार्य बाधित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था।

उनका यह भी तर्क है कि अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा आरोप रेकार्ड से प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थी पर आरोपों को प्रमाणित माना जाना कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल है। अनुशासनात्मक अधिकारी ने जांच अधीकारी की जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए दण्डादेश पारित कर दिया जबकि सीसीए नियमों के नियम 16(9) में अंकित टिप्पणी अनुसार अनुशासनिक अधिकारी को रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था।

उनका यह भी कथन कि राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के नियम 16 (10) में यह उल्लेख किया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच यदि कोई हो की रिपोर्ट की एक प्रति सरकारी कर्मचारी को अग्रेषित करेगा जिससे यह अपेक्षा की जायेगी की वह अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो 15 दिवस के भीतर–भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दे।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के प्रकरण में उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर नियमों का उल्लंघन किया गया है अर्थात अपीलार्थी को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी गयी न ही उस पर लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। अपीलार्थी के जांच प्रकरण में सीसीए नियम 16 (3) एवं 16 (7) का भी उल्लंघन हुआ है। उक्त प्रकरण में निर्दोष अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाना दोहरी दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी बिना वेतन अवकाश पर रहा है अर्थात सरकार को किसी भी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं हुई है फिर भी अपीलार्थी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जांकर दण्डित किया गया है जो न्यायोचित व विधिसम्मत नहीं है। जहां कर्मचारी के अवकाश पर जाने का कारण स्पष्ट दिखाई देता हो तथा उसको सिद्ध करने के लिए रिकार्ड साक्ष्य उपलब्ध हो एवं अवकाश लिये जाने की सूचना समय–समय पर प्रस्तुत कर दी गई हो ऐसे में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने का आरोप किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं होता है। अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना तथा अवकाश वृद्धि के लिए पुनः प्रार्थना पत्र दिये जाने के तथ्य को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभिलेख के

Scanned with CamScanner

आधार पर स्वीकार कर लिया गया था। अपीलार्थी के हलके का चार्ज तहसीलदार द्वारा अन्य पटवारियान को दिलवा दिया गया था। यह दोनों ही आरोप रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित हीं होते है। अपीलार्थी बिना वेतन अवकाश पर रहा है तथा वृद्ध मां की सेवा करना भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही नहीं वरन् आवश्यक भी है। अपीलार्थी के अवकाश पर रहने से सरकार /जनता का कोई नुकसान नहीं हुआ है तथा बिना वेतन अवकाश भी स्वीकार किया जा चुका है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपलार्थी के प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक भू.अ.6/एफ.2 ( ) पटवारी/हिण्डोली/बून्दी/विजा/19/3030 दिनांक 01–07–2020 एवं निर्णय दिनांक 19–6–2020 में अंकित एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, टोंक से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तहीलदार हिण्डौली ने उनके पत्रांक 299 दिनांक 24–1–2018 से जिला कलक्टर बून्दी को भिजवाये। अपलार्थी का स्थानान्तरण जिला बूंदी से जिला जयपुर हो जाने पर प्रकरण जिला कार्यालय बून्दी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 9165–66 दिनांक 7–9–2018 से जिला कलक्टर जयुपर को प्रेषित किया गया। जिला कलक्टर जयपुर के पत्र क्रमांक 1559 दिनांक 23–1–2019 से अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन मय आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी किये जाकर दो आरोप आरोपित किये गये। प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला जयपुर से जिला टोंक में हो जाने पर जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पत्रांक 17175 दिनांक 24–10–2019 से प्रकरण निर्णय हेतु जिला कलक्टर, टोंक कार्यालय को भिजवाया गया। सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही होने के कारण प्रकरण में दिनांक 19–6–2020 को निर्णय कर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया तथा अनुपस्थित अवधि दिनांक 14–2–2017 से दिनांक 20–7–2017 तक का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी पटवार मण्डल हिण्डौली के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 14–2–2017 से दिनांक 20–7–2017 तक स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहा जिससे पटवार मण्डल हिण्डौली का कार्य बाधित रहा। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13–2–2017 को मुख्यालय छोड़ने की सूचना तहसीलदार हिण्डौली को दी थी

Scanned with CamScanner

किन्तु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान किये जाने का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23–2–2017, 10–3–2017, 12–6–2017, 13–7–2017 को अवकाश पर रहने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डौली को भिजवाया गया है। दिनांक 14–2–2017 को प्रस्तुत अवकाश प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है प्राप्ति अपीलार्थी को दिनांक 22–2–2017 को हो चुकी थी। अतः उक्त अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण आधारहीन है। अपीलार्थी ने तहसीलदार हिण्डोली के आदेशानुसार ही अपने पटवार मण्डल का चार्ज अन्य पटवारी को संभलाया। अपीलार्थी का अवैतनिक अवकाश का प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली ने उनके पत्र कमांक 6268 दिनांक 5–10–2017 से प्रभारी अधिकारी भू.अ. कलक्टर बूंदी को प्रषित किया गया है किन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलार्थी ने दिनांक 22–2–2017 को अपने पटवार हलके का चार्जअन्य पटवारी को दे दिया था किन्तु यह सहीं नही है कि अपीलार्थी दिनांक 14–2–2017 से अवकाश पर गया था, चूंकि अपीलार्थी का अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ था। तहसीलदार हिण्डोली ने उनके पत्रांक 6135 दिनांक 25–9–2017 से जिला कलक्टर बूंदी को अपीलार्थी के दिनांक 14–2–2017 से दिनांक 20–2–2017 तक अवैतनिक अवकाश पर रहने की सूचना प्रेषित की गई जिसके साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अवकाश प्रार्थना पत्र जवाब एवं उनके कार्यालय द्वारा की गईकार्यवाही के पत्रादि आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाये गये। अपीलर्थी ने पैरा की अंतिम पंक्ति में स्वयं बिना सूचना के अनुपस्थित रहना स्वीकार किया है।

अपीलार्थी का यह कथन अस्वीकार है कि बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर जाना राजकीय नियमों के एवं पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध है तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है जिसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(2) ख के अनुसार अवकाश की समाप्ति पर अपने पद के कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित एक राज्य कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दोषी बना देती है। जांच अधिकारी ने समस्त तथ्यों, दस्तावजों के अवलोकन उपरान्त अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की है। तहसीलदार हिण्डौली द्वारा राजकार्य को विधिवत रूप से सम्पादित कराने हेतु जारी किया जाना आवश्यक था इससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाईके दौरान किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त करने/प्रस्तुत करने का अवसर नहीं चाहा गया जिससे यह सिद्ध है कि अपीलार्थी जांच कार्यवाही से

Scanned with CamScanner

सन्तुष्ट था, तदुपरान्त ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। हां यह सही है कि अपीलार्थी को जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई किन्तु अपीलार्थी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है।

अपीलार्थी का यह कथन अस्वीकार है कि नियम 16(3) एवं 16 (7) का उल्लंघन नहीं हुआ है। नियम 16 (3) में "सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सरकारी अभिलेखों का जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे निरीक्षण करने तथा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा दी जायेगी परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में ऐसे अभिलेख उस प्रयोजन से सुंसंगत नहीं हो या उसे अभिलेख दिखलाना लोक हित के विरूद्ध है तो अभिलिखित कारण से अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकेगा" का उल्लेख है। अपीलार्थी द्वारा इस हेतु कोई अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। नियम 16 (7) में "जांच समाप्ति पर जांच प्राधिकारी प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष उनके कारणों सहित अभिलखित करते हुए जांच रिपार्ट तैयार करेगा। यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही से मूलतः तैयार किये गये आरोपों से भिन्न आरोप स्थापित हो, तो ऐसे आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा। परन्तु ऐसे आरोपो पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किये जायेंगे जब तक की सरकारी कर्मचारी ने उन्हें संस्थापित करने वाले तथ्यों को स्वीकार न कर लिया हो या जब तक उसे उनके विरूद्ध अपना बचाव करने का अवसर नन मिल चुका हो।" जांच प्राधिकारी द्वारा आरोपों से हटकर कोई जांच प्रस्तुत नहीं की गई तथा कार्मिक को अपने बचाव का अवसर प्रदान किया है। अपीलार्थी को स्वेचिछक रूप से बिना अवकाश स्वीकृत कराये राजकार्य से अनुपस्थित रहने पर उक्त आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त ही उसका अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिअनुकूल है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपचारी पटवारी श्री कपिल चौधरी को उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर दिनांक 14–2–2017 से दिनांक 20–7–2017 तक अपीलार्थी का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये है।

Scanned with CamScanner

यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली ने जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी की माता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 14–2–2017 से 20–7–2017 तक बिना सक्षम अधिकारी के अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहे, का उल्लेख किया है। कार्यालय द्वारा कार्मिक को पत्र कमांक 2427 दिनांक 27–3–2017 से लिखने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। कार्मिक को बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने व राजकार्य बाधित होने का दोषी माना है। प्रस्तुत प्रकरण में दस्तावेजात का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने विभागाध्यक्ष तहसीलदार हिण्डौली को दिनांक 13–2–2017 को अपनी माता की तबीयत खराब होने के कारण मुख्यालय छोडने की सूचना प्रेषित की है तथा उसी दिनांक को सहादत अस्पताल में डाक्टर को दिखाने की पर्ची भी संलग्न हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14–2–2017 से तहसीलदार हिण्डौली को अपनी बुजुर्ग मां का स्वास्थ्य खराब होने से चिकित्सक की सलाह अनुसार उनकी देखभाल करने हेतु लगभग एक माह तक अवैतनिक अवकाश पर रहने की सूचना प्रस्तुत की है। इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा मार्किंग भी की गई है। उसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा अवकाश पर रहने की सूचना समय–समय कमशः 10–3–2017, 12–6–2017, 13–7–2017, को दी गई है। तहसीलदार, हिण्डौली द्वारा उनके कार्यालय आदेश कमांक 1898–1905 दिनांक 21–2–2017 द्वारा उनको आवंटित पटवार मण्डल हिण्डोली, अमरत्या, सहसपुरिया का चार्ज विभिन्न पटवारियों को संभलाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपचारी पटवारी द्वारा दिनांक 22–2–2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर पटवार मण्डलों का चार्ज विधिवत रूप से संभला दिया गया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपचारी पटवारी द्वारा जब उनके पटवार हलकों का चार्ज संभला दिया गया था तो राजकार्य बाधित होने जैसी कोई स्थिति ही पैदा नहीं हुई है और न ही किसी ग्रामवासी द्वारा कोई शिकायत की गई है कि पटवारी हलका के अवकाश पर रहने से उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अपचारी पटवारी के अवैतनिक अवकाश पर रहने के कारण कोई राजस्व हानि भी नही हुई है। अपीलार्थी द्वारा अवैतनिक अवकाश किन कारणों से लिया गया है यह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उनकी माता की तबीयत खराब होने के कारण अवकाश लिया गया था। अपीलार्थी द्वारा अवकाश पर रहने की सूचना समय–समय पर प्रस्तुत कर दी गई थी ऐसे में बिना सूचना व अवकाश स्वीकृत कराये बिना अनुपस्थित रहने का आरोप किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं होता है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार हिण्डोली को अपनी मां का इलाज करवाने हेतु अवकाश प्रार्थना पत्र प्रेषित किये गये थे जिसके आधार पर

Scanned with CamScanner

लम्बी छुटटी पर रहने के कारण तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा अपीलार्थी को आवंटित पटवार मण्डलों का चार्ज अन्य पटवारी को दिये जाने का आदेश पारित किया गया था जिससे यह तो सिद्ध है कि विभागाध्यक्ष को अपचारी पटवारी के अवकाश पर रहने की जानकारी थी। साथ ही अपीलार्थी अपनी मां का इलाज करवाने हेतु अवैतनिक अवकाश पर रहा है जिसके कारण सरकार को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। जांच अधिकारी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में अपचारी पटवारी द्वारा अपी मां के इलाज के लिए अवैतनिक अवकाश पर रहने के कारण प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भी उल्लेख किया है। लेखा नियमों में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी निजी कार्य हेतु अवकाश पर रह सकता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपचारी को नियम 16 के तहत कार्यवाही करते हुए वृहत दण्ड/दोहरे से दण्डित किया गया है। जबकि नियम 16 के तहत कार्यवाही केवल रिकार्ड में हेराफेरी, गम्भीर दुराचरण तथा रिश्वत के मामले में ही किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा केवल अपनी मां के इलाज के लिए स्वयं बिना वेतन अवकाश हेतु आवेदन उपरान्त अवकाश पर रहा था जो कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से सिद्ध है तथा विभागाध्यक्ष द्वारा उसका अवैतनिक अवकाश भी स्वीकृत किया जा चुका है। जिसके लिए उसे वृहत दण्ड से दण्डित किया जाना किसी भी प्रकार से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक भू.अ.6/एफ.2 ( ) पटवारी/ हिण्डोली/ बून्दी/ विजा/19/3030 दिनांक 01–07–2020 एवं निर्णय दिनांक 19–6–2020 से अपीलार्थी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड का आदेश निरस्त किया जाता है। साथ ही अनुपस्थित अवधि दिनांक 14–2–2017 से दिनांक 20–7–2017 तक को उपार्जिज अवकाश में समायोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Scanned with CamScanner